**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.**

**अपील संख्या – 809 व 810/2010/अजमेर**

मैसर्स यूनाइटेड एजेन्सीज, अजमेर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, अजमेर । .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री मदन लाल, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्रीमति अनिता मीणा,
व.क.अ., वृत्त–अ, अजमेर। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 12.01.2015**

**निर्णय**

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 21.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 153/2007–08/आर/अजमेर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, अजमेर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत् निर्धारण वर्ष 1994–95 व 1995–96 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये गये पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 20.01.2003 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधियों के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश पारित कर, तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त पारित आदेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 37 के तहत् परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पारित आदेशों को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर, एकपक्षीय आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये । उक्त पारित आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर

लगातार ....2

कथन कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया जो राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 47 के तहत् एक विधिक आवश्यकता है । अतः गुणावगुण पर विचार किये बिना ही उक्त आधार पर ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना कर, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रिम अभिवाक् किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा परिशोधन आदेश दिनांक 20.01.2003 को पारित किये गये हैं जबकि उक्त आदेश पारित करने संबंधी नोटिस दिनांक 07.03.2003 को जारी किये गये हैं जो कि स्पष्टतः आदेश पारित करने के उपरांत बाद की तारीख में पारित किये गये हैं। अतः पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

विभाग की ओर से श्रीमति अनिता मीणा, ने उपस्थित उठाकर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध पारित आदेश दिनांक **30.07.2012** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **21.02.2010** के जरिये प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिनकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **30.07.2012** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन कर दिया है । अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें ''सारहीन'' हो गयी है । अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

लगातार.....3

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576 ।** (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79 ।** (आर.टी.टी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर, प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे। निर्धारण अधिकारी ने प्रकरणों में निश्चित समयावधि को बढ़ाने हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर को निवेदन किया गया। **आयुक्त, द्वारा प्रकरणों के निष्पादन हेतु निशिचत समय सीमा को दिनांक 06.09.2012 तक जरिये पत्रांक प. 16(43)रिमाण्ड/एक्सटेन/कर/सीसीटी/2012–13325–24/दिनांक 23.05.2012** के बढाया गया जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन दिनांक 30.07.2012 को कर दिया गया। इस संबंध में विभाग की ओर से श्रीमति अनिता मीणा, द्वारा माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक **30.07.2012** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है ।

परिणामतः अपीलें "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

12.1.2015

**( मदन लाल )**
**सदस्य**